प्रेस नोट
दिनांक 11.09.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 140 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त गद्द यादव पुत्र स्व0 राममिलन यादव को दुर्गागंज बैरियर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 140 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.09.2025 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 विभव सिंह मय हमराह के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे तभी सूचना प्राप्त हुई कि दुर्गागंज बैरियर के पास एक व्यक्ति सफेद पन्नी में अवैध मादक पदार्थ लेकर किसी का इंतजार कर रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त गद्द यादव पुत्र स्व0 राममिलन यादव उसके कब्जे से 01 किलो 140 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. गद्द यादव पुत्र स्व0 राममिलन यादव नि0 ग्राम दुर्गागंज माझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–329/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो 140 ग्राम नाजायज गांजा।
02. 1400 रू0 नकद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विभव सिंह।
02. का0 अमित सिंह।
03. का0 अतुल सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.09.2025

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–342/2025 धारा 103(1)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्ता कदरुन निशा पत्नी स्व0 साकिर अली को उसके घर से से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 30.08.2025 को वादी जमील पुत्र नजीर मो० नि0 ग्राम रायपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी बहन राकिया बानो की शादी साहिद अली पुत्र साकिर अली नि0 ग्राम मीनापुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के साथ दस बारह साल पहले हुई थी। आए दिन वादी की बहन को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, दिनांक 30.08.2025 को सूचना मिली वादी की बहन को पति साहिद अली पुत्र साकिर अली व उसके परिवारीजन द्वारा जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में नामजद 03 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 11.09.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर वांछित चल रही आरोपी अभियुक्ता कदरुन निशा पत्नी स्व0 साकिर अली को उसके घर से से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता–
01. कदरुन निशा पत्नी स्व0 साकिर अली नि0 मीनापुर थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–342/2025 धारा 103(1)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. प्र0नि0 तेज प्रताप सिंह थाना को0 कर्नलगंज।
02. उ0नि0 मो0 गुफरान।
03. म0उ0नि0 आरती गौतम।
04. हे0का0 वकील सिंह।
05. हे0का0 अख्तर अली।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.09.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का खुलासा, 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी का माल व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद–

कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–194/25, 216/2025 से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण–01. मो0 रईस पुत्र मो0 उमर, 02. सुभाष तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद, 03. अजय सिंह पुत्र रामनरायन सिंह, 04. भानू प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन पुत्र हरिनरायन द्विवेदी, 05. नागेश्वर द्विवेदी उर्फ छोटू पुत्र पाटेश्वरी प्रसाद द्विवेदी को गिरफ्तार कर उनके कब्बे व निशानदेही से 01 अदद पम्पिंग सेट, घटना में प्रयुक्त वाहन व मोबाइल व 2240 रू0 नकद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19/20.08.2025 की रात्रि अज्ञात चोरो द्वारा थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम निधिनगर पंचायत भवन से इन्वर्टर, बैट्री, कम्प्यूटर सेट चोरी किया गया था तथा दिनांक 07/08.09.2025 की रात्रि ग्राम जमुनही हरदोपट्टी से अज्ञात चोरो द्वारा वादी जुगुल किशोर की पम्पिंग सेट चोरी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 04 शातिर चोरो –01. सुभाष तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद, 02. अजय सिंह पुत्र रामनरायन सिंह, 03. भानू प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन पुत्र हरिनरायन द्विवेदी, 04. नागेश्वर द्विवेदी उर्फ छोटू पुत्र पाटेश्वरी प्रसाद द्विवेदी व चोरी के माल की खरीद–फरोख्त में संलिप्त कबाड़ी संचालक मो0 रईस पुत्र मो0 उमर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से 01 अदद पम्पिंग सेट, घटना में प्रयुक्त वाहन व मोबाइल व 2240 रू0 नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया। दिनांक 07/08.09.2025 की रात्रि को ग्राम जमुनही हरदोपट्टी से पम्पिंग सेट चोरी किया और ₹3000/– में कबाड़ी मो0 रईस को बेचा तथा दिनांक 19/20.08.2025 की रात्रि को निधिनगर पंचायत भवन से इन्वर्टर, बैट्री, कम्प्यूटर सेट चोरी कर नेपाल में ₹12,000/– में बेचा तथा प्राप्त पैसो को आपस में बाँट लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. मो0 रईस पुत्र मो0 उमर, नि0 ग्राम परसिया बहुरीपुर, थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. सुभाष तिवारी पुत्र दुर्गा प्रसाद, नि0 महेशपुर परसौरा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।
03. अजय सिंह पुत्र रामनरायन सिंह, नि0 गोपालपुर मौजा चन्द्रभानपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।
04. भानू प्रकाश द्विवेदी उर्फ राजन, पुत्र हरिनरायन द्विवेदी, नि0 चन्द्रभानपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

05. नागेश्वर द्विवेदी उर्फ छोटू पुत्र पाटेश्वरी प्रसाद द्विवेदी, नि0 कंचनपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद पम्पिंग सेट Kirloskar

02. 01 अदद टाटा ACE वाहन सं0 UP42BT0723 (चोरी में प्रयुक्त)

03. 01 अदद मोबाइल Vivo V50 (चोरी में प्रयुक्त व कबाड़ी से बरामद)

04. नकद ₹2240/– (अभियुक्तों से चोरी की राशि)

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–194/25 धारा 305,331(4),317(2),317(4),112(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–216/25 धारा 303(2),317(2),317(4),112(1) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 शेषनाथ पाण्डेय
02. उ0नि0 शंकर सोनकर
03. उ0नि0 सत्यनारायण यादव
04. उ0नि0 कामेश्वर राउत
05. हे0का0 पप्पू सिंह
06. का0 अमृष कुमार
07. का0 विजयशंकर राय
08. का0 सुनील यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>